प्रेस विज्ञप्ति

17.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने **महादेव ऑनलाइन बुक, स्काईएक्सचेंज एवं अन्य** की अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत विकास गर्ग को गिरफ्तार किया है। विकास गर्ग को दिनांक 14.07.2026 को नई दिल्ली में पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड प्रदान किया गया। तत्पश्चात दिनांक 15.07.2026 को उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर ने विकास गर्ग को दिनांक 24.07.2026 तक 10 दिनों के लिए ईडी की अभिरक्षा में भेज दिया है।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस, दुर्ग द्वारा दर्ज एफआईआर तथा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की पुलिस द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के संचालकों, प्रवर्तकों एवं सहयोगियों के विरुद्ध दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की। इन प्राथमिकी में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी एवं फॉर्जरी के आरोप लगाए गए हैं। ईडी की जांच में यह सामने आया कि यह सट्टेबाजी सिंडिकेट विदेश से संचालित फ्रेंचाइज़ी आधारित 'पैनल' नेटवर्क के माध्यम से संचालित किया जा रहा था तथा अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से प्रतिमाह 450 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न कर रहा था।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि महादेव ऑनलाइन बुक एवं स्काईएक्सचेंज की अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से अर्जित अपराध से प्राप्त आय को बहुस्तरीय संरचना के माध्यम से धन शोधन किया गया। इसके लिए शेल संस्थाओं के जाल के माध्यम से नकदी के बदले आवासीय प्रविष्टियों की व्यवस्था की गई तथा दुबई, मॉरीशस एवं यूनाइटेड किंगडम स्थित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से क्यूआईपी, एफपीआई, एफडीआई एवं एफसीसीबी मार्गों का उपयोग कर विदेशी निवेश किए गए। इस धनराशि को विकास गर्ग के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में प्रवाहित किया गया, ताकि दूषित धन को वैध धन के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। इसके पश्चात अपराध से अर्जित आय की उसकी समूह कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग की गई तथा इसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की दिवाला न्यायालय के माध्यम से अमेरिका स्थित कंपनी ईबीआईएक्स आईएनसी. की 97.58 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण तथा भारत एवं विदेश में शेयरों, प्रतिभूतियों एवं अन्य परिसंपत्तियों के सृजन में किया गया।

इससे पूर्व इस मामले में दिनांक 05.06.2026 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी कर विकास गर्ग, उसके परिवार के सदस्यों तथा उसके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली संस्थाओं की लगभग 940.77 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। इनमें आवासीय संपत्तियां, भूमि के विभिन्न भू-खंड, इक्विटी शेयर तथा अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं। जांच से यह भी स्थापित हुआ है कि विकास गर्ग ने अपने विरुद्ध चल रही जांच के दौरान भी अपराध से अर्जित आय को छिपाने एवं स्थानांतरित करने के निरंतर प्रयास किए।

इस मामले में इससे पूर्व सात अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा पूरक अभियोजन शिकायतों सहित अभियोजन शिकायतें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष दायर की जा चुकी हैं, जिसने धन शोधन के अपराध का संज्ञान ले लिया है। इस मामले में अब तक लगभग 4,000 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियां, जिनमें विदेशी परिसंपत्तियां भी शामिल हैं, कुर्क/जब्त/फ्रीज की जा चुकी हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।